भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

****

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : 215

(दिनांक 30.11.2016 को उत्तर के लिए)

संवर्ग संरचना संबंधी कृत्रिक बल

***215. डॉ. उदित राज:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत्यावरोध तथा अन्य समस्याओं को रोकने के लिए केंद्रीय सेवाओं के समूह-क अधिकारियों की संवर्ग संरचना के व्यापक अध्ययन हेतु कृत्रिक बल का गठन किया हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त कृत्रिक बल की संरचना और विचारार्थ विषय क्या है,

(ग) क्या उक्त कृत्रिक बल ने अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क), (ख), (ग) और (घ) :- एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

संवर्ग संरचना पर कृत्रिक बल के संबंध में 30 नवम्बर, 2016 को लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *215 के उत्तर के भाग (क), (ख), (ग) एवं (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): जी हां, केंद्रीय सेवाओं के सभी संगठित समूह 'क' संवर्ग संरचना का व्यापक अध्ययन करने तथा गत्यावरोध और अन्य मुद्दों पर उपाय सुझाने के लिए दिनांक 16/08/2016 को कृत्रिक बल का गठन किया गया।

(ख): कृत्रिक बल की संरचना तथा विचारार्थ विषय निम्नानुसार है

संरचना:

i) श्री टी. जैकब, अपर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) - अध्यक्ष
ii) श्री जिश्नु बरूआ, संयुक्त सचिव (सेवा एवं सतर्कता - II) डीओपीटी - सदस्य
iii) श्री ज्ञानेन्द्र देव त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, (स्थापना), डीओपीटी - सदस्य
iv) व्यय विभाग के प्रतिनिधि - सदस्य
(सुश्री, ऐनी जॉर्ज मैथ्यू, संयुक्त सचिव (कार्मिक),
v) राजस्व विभाग के प्रतिनिधि - सदस्य
vi) रक्षा विभाग के प्रतिनिधि - सदस्य
vii) डाक विभाग के प्रतिनिधि - सदस्य
सुश्री मंजु पाण्डे, डीडीजी (ई)
viii) श्रीमती जी. जयंती, निदेशक (स्थापना) डीओपीटी, - सदस्य
ix) सुश्री कविता वी. पद्मानभान, उप सचिव (सेवाएं) डीओपीटी - सदस्य
x) श्री एम. एस. सुब्रमन्य राव, निदेशक (संवर्ग समीक्षा प्रभाग), डीओपीटी - सदस्य सचिव

<u>विचारार्थ विषय:</u>

- भारत सरकार के सभी संगठित समूह 'क' सेवाओं की संवर्ग संरचनाओं का व्यापक अध्ययन करना।

- विशेष रूप से शीर्ष एचएजी प्लस, एचएजी तथा एसएजी स्तर पर एक सैद्धांतिक संरचना की अनुशंसा करना।

- संगठित वर्ग 'क' सेवाओं में विभिन्न रिजर्वों की प्रतिशतता के संबंध में सुझाव देना।

- संगठित समूह 'क' सेवाओं में आदर्श भर्ती का सुझाव देना।

- गत्यवरोध के स्तर को कम करने के लिए आगे सुझाव देना।

(ग): जी नहीं, कृत्रिक बल ने अभी तक अपनी सिफारिशें नहीं दी हैं।

(घ): रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाने के बाद ही अनुवर्ती कार्रवाई का प्रश्न उठेगा।

*****